राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 416/2016/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, सुमेरपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड
गैलपुर अलवर। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 174/RVAT/2014–15/अपी. प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 22.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–सुमेरपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 1,73,000/– को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील राजस्व द्वारा कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन–पाली द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान दिनांक 28.09.2014 को वाहन संख्या RJ-14-GE-2353 को मोरबी (गुजरात) से गैलपुर (अलवर) जाते समय मंडार पर रोक कर चैक करने पर उसमें परिवहनित माल 'टाईल्स' होना पाया गया। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा उक्त माल के संबंध में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

1. मैसर्स श्री श्याम फ्रेट केरियर्स, मोरबी की जी.आर. नं0–534 दिनांक 27.09.2014
2. M/s JAXX Vitrified Pvt. Ltd., Morbi का बिल नं0– 1887 दिनांक 27.09.2014 जिसमें क्रेता फर्म मैसर्स कजारिया सेरेमिक लिमिटेड, गैलपुर (अलवर) माल कीमतन रूपये 4,49,335/– अंकित है।
3. फार्म नं0–402 क्रमांक 99825638699 दिनांक 27.09.2014
4. मैसर्स कजारिया सेरेमिक लि0 गैलपुर (अलवर) का इन्वॉयस नं0–4114002281 दिनांक 27.09.2014 जिसमें क्रेता फर्म मैसर्स अनमोल एण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली माल कीमतन रूपये 5,00,650/– अंकित है।

लगातार........2

उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा पाया गया कि परिवहनित माल टाईल्स राज्य में अधिसूचित श्रेणी की वस्तु होने के कारण इसके साथ घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न होना आवश्यक है, किन्तु प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा बिना वैट–47 के उक्त माल का परिवहन किया जा रहा है जो अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन है। अतः इस आधार पर जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त वाहन को मय माल निरूद्ध किया गया। दिनांक 30.09.2014 को निरूद्ध माल के संबंध में व्यवसायी फर्म मै0 कजारिया सेरेमिक लि0, गैलपुर की तरफ से श्री अमित जैन उपस्थित हुए तथा निरूद्ध माल का मूल्यांकन बिलानुसार करने पर @ 14% से कर योग्य माल सेरेमिक टाईल्स कीमतन रूपये 5,76,665 / – का बिना वैधानिक दस्तावेजों से परिवहन होना पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानते हुए प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया जाकर उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, पाली के आदेश क्रमांकः 1065–1066 दिनांक 30.09.2014 की पालना में अभियोग पत्रावली सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गई।

सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अभियोग के निस्तारण हेतु व्यवसायी फर्म को अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.10.2014 के लिए जारी किया गया जिसकी पालना में दिनांक 30.09.2014 को ही व्यवसायी फर्म के एरिया मैनेजर श्री अरूण सिंह जोधा ने सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन किया।

सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म के जवाब का अवलोकन किये जाने के उपरान्त उसके द्वारा बिना वैट–47 के उक्त माल का परिवहन किया जाकर अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन किये जाने के कारण व्यवसायी के जवाब को अस्वीकार करते हुए परिवहनित माल सेरेमिक टाईल्स कीमतन रूपये 5,76,665 / – पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत @ 30% शास्ति रूपये 1,73,000 / – आरोपित की गई जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार उक्त माल का राजस्थान में प्रवेश से पूर्व ही धारा 6(2) CST Act के तहत मैसर्स अनमोल एण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली को बेचान कर दिया गया था। उक्त ट्रान्जिट सेल की कार्यवाही वाहन चैक करने से पूर्व ही सम्पादित की जा चुकी थी वक्त जांच माल का परिवहन ट्रान्जिट सेल के अन्तर्गत द्वितीय संव्यवहार के क्रम में गैलपुर (अलवर) से अम्बाला (हरियाणा) के लिए किया जा रहा था जिसके साथ अपीलार्थी द्वारा जारी वैट इन्वॉयस नं0– 4114002281 दिनांक 27.09.2014 मौजूद होने और बिल्टी के पीछे उक्त ट्रान्जिट सेल का इन्द्राज अंकित होने से वैट–47 की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में वैट–47 की आवश्यकता मानते हुए धारा 76(6) के तहत आरोपित की गई शास्ति विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त जांच प्रस्तुत बिल एवं बिल्टी को बोगस व मिथ्या भी प्रमाणित नहीं किया है। अतः आरोपित की गई शास्ति अपास्त रखते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया और आरोपित शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया।

लगातार.......3

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध माल संबंधी दस्तावेजों यथा बिल एवं बिल्टी से यह प्रमाणित होता है कि उक्त माल मैसर्स कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड गैलपुर, भिवाड़ी द्वारा आयात किया जा रहा था। उसी दौरान चैकिंग से पूर्व व्यवसायी ने उक्त माल का धारा 6(2) में बेचान मैसर्स अनमोल एण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली को कर दिया गया। इस तथ्य की पुष्टि बिल्टी पर Sale in Transit Under Section 6(2) of CST Act के Endorsement से होती है। इसके अलावा कजारिया सेरोमिक्स ने अपने इनवॉयस नं0–4114002281 दिनांक 27.09.2014 द्वारा उक्त माल का बेचान मैसर्स अनमोल एण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली को किया जाना प्रमाणित होता है। उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त माल का धारा 6(2) में बेचान होने के कारण घोषणा पत्र वैट–47 की आवश्यकता नहीं थी उक्त माल को राज्य के बाहर निर्यात किया जाने पर अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं माना गया है। अतः वैट–49 की भी कोई विधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य